(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2170–पीबीआर/16 विरूद्ध स्थल पंचनामा दिनांक 23–4–2016 एवं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 11–5–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, हरदा प्रकरण कमांक 4/अ–12/2015–16

श्रीमती कल्पना राजपूत
पत्नी गिरज़ाशंकर राजपूत
निवासी गड़ीपुरा, हरदा .....आवेदिका

विरूद्ध

1– अर्जुन सिंह चौहान आ. रतन सिंह चौहान
2– श्रीमती बबीता चौहान पत्नी अर्जुन सिंह चौहान
निवासीगण मेजर जोशी कॉलौनी, हरदा .....अनावेदकगण

श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री प्रवीण जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, हरदा द्वारा पारित स्थल पंचनामा दिनांक 23–4–2016 एवं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 11–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि हरदा खास में स्थित भूमि सर्वे कमांक 160/25 एवं 260/26 कुल रकबा 0.405 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–12/2015–16दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 11–5–16 तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन प्रतिवेदन के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आवेदिका को सूचना दिये प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है जबकि वह पड़ोसी कृषक होकर हितबद्ध पक्षकार है और उसे सूचना दिये बिना किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23–4–15 की आदेशिका में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका प्रश्नाधीन सीमांकन से असंतुष्ट है, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण समाप्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक के स्थल पंचनामा दिनांक 23–4–16 एवं प्रतिवेदन दिनांक 11–5–16 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि से संबंधित प्रकरण माननीय जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का अभी सीमांकन किया ही नहीं गया है । आवेदक द्वारा यह निगरानी बिना किसी आधार के प्रस्तुत की गई है, इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर